संख्या-08/2021/2056/52-2-2021-27(परिपत्र)/2021

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/अपर सर्वे आयुक्त वक्फ,

उ0प्र0।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 03 नवम्बर, 2021

विषयः- वक्फ सम्पत्तियों को राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत/अर्जित करने एवं उस पर प्रतिकर का भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकासपरक परियोजनाओं हेतु भूमियों/सम्पत्तियों, जिनमें वक्फ सम्पत्तियाँ भी सम्मिलित है, के अधिग्रहण की कार्यवाही "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के अन्तर्गत की जाती है। किन्तु वक्फ सम्पत्तियों के अधिग्रहण एवं प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही में प्रायः उत्तर प्रदेश शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को संज्ञानित नहीं कराया जाता है। वक्फ सम्पत्तियों के अधिग्रहण की कार्यवाही में प्रायः ऐसी संपत्तियों के संबंध में वक्फ के मूल स्वरूप, उसके प्रकार, नामान्तरण, उत्तराधिकार आदि के संबंध में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रतिकर के भुगतान की कार्यवाही अत्यधिक विलम्बित हो जाती है। वस्तुतः किसी वक्फ संपत्ति के अधिग्रहण की कार्यवाही में उत्तर प्रदेश शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को वक्फ अधिनियम-1995 की धारा-91 में निहित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक पक्षकार बनाया जाना विधिक बाध्यता है, जिसका अनुपालन न किया जाना विधिक प्राविधानों का उल्लंघन है। भूमि अर्जन की कार्यवाही में उत्तर प्रदेश शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को अनिवार्य पक्षकार न बनाये जाने की दशा में वक्फ संपत्ति के अर्जन से प्राप्त होने वाले प्रतिकर से वक्फ अधिनियम की धारा-72 एवं 74 में निहित प्राविधानों के अनुरूप आय/प्रतिकर मूल्य के 07 प्रतिशत का अंशदान, जो दोनो बोर्डो को अनिवार्य रूप से देय है, उसे भी संबंधित मुतवल्ली द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप दोनो बोर्डो को अत्यधिक वित्तीय क्षति कारित हो रही है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वक्फ अधिनियम की धारा-91 के प्राविधानों के अनुसार संबंधित बोर्ड को भूमि अर्जन की कार्यवाही में अनिवार्य रूप से पक्षकार बनाते हुए अधिनियम में संदर्भित प्राविधानों के अनुसार अंशदान के रूप में देय 7 प्रतिशत धनराशि का भुगतान भू-अध्याप्ति अधिकारी द्वारा संबंधित बोर्ड के पक्ष में

http://shasanadesh.up.gov.in

अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही शेष 93 प्रतिशत धनराशि वक्फ बोर्ड से अधिकृत मुतवल्ली के खाते में स्थानान्तरित किया जाय। इस धनराशि का व्यय वक्फ अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप ही किया जायेगा एवं व्यय विवरण यथासमय नियमानुसार आडिट हेतु उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य रहेगा।

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-2056(1)/52-2-2021-27(परिपत्र)/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निजी सचिव मा0 मंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री जी अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग उ0प्र0।

2-सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0।

3-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4-गृह(पुलिस) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

5-राजस्व अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।

6-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

7-पुलिस कमिश्नर लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर।

8-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ।

9-समस्त उपनिदेशक/समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/सहायक सर्वे कमिश्नर वक्फ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों से समन्वय/ सम्पर्क कर सम्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवाकान्त द्विवेदी)
विशेष सचिव।

http://shiaadesh.up.gov.in